

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारी

अवैध गाजा व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, डेढ़ दर्जन से अधिक

मुकदमें दर्ज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर महोदया श्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ०नि० जाफर खान मय राहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त व पेण्डिंग विवेचना व कोविड 19 की गाइड लाइन के पालन कराने हेतु भ्रमणशील होकर पहलवान तिराहे पर मामूर था कि उसी समय विश्वास सूत्रों से सूचना मिला कि एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आरटीओ की तरफ से शहर की ओर गाजा लेकर आ रहा है अपराधी किस्म का है मोटरसाइकिल भी चोरी की है। यदि जल्दी करेंगे तो पकड़ा जा सकते हैं। मुखवीर की बात का विश्वास करके उ०नि० मय राह कर्म०गण के जीप सरकारी से हरबंशपुर तिराहा के लिये चल दिया गया। हरबंशपुर तिराहा से पहले मुखवीर को साथ लेकर हरबंशपुर तिराहा के पास पहुँचकर आड़ में खड़ा होकर इन्तजार किया जाने लगा कि थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया कि मुखवीर ने मोटरसाइकिल से आते व्यक्ति के तरफ इशारा करके बताया कि साहब वही व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल से गाजा लेकर आ रहा है और पीछे मुड़कर चला गया कि पुलिस वाले तेजी से सड़क पर आकर मोटरसाइकिल से आते व्यक्ति ज्योही हरबंशपुर तिराहा पर आया कि पुलिस वाले रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल से आ रहा व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर भागना चाहा कि पुलिस वाले हिकमत अमली से एक बारगी घेरकर बिना भागे मौका दिये पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम धर्मेन्द्र यादव उर्फ उदई पुत्र रामा यादव उर्फ रामायण सा० गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बताया पकड़े गये व्यक्तियों से मोटरसाइकिल हैण्डिल पर लिये झोला के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब अब तो पकड़ ही लिये गया हूँ झोला में गाजा है जिसको घुमफिर कर बेच कर अपना जिवकोपार्जन करते हैं। जिससे कुछ लाभ हो जाता है। इस पर पकड़े व्यक्ति से कहा गया कि आप गाजा लिये हुए हैं आप स्वतन्त्र हैं कि अपनी जामातलाशी कहिये तो

किसी राजपत्रित अधिकारी या सक्षम मजिस्ट्रेट को बुलाया जाय, इस पर कहा कि साहब गलती हो गयी को कही नहीं जाना है आप ही लोग मेरी जामातलाशी ले लिजिये कि पकड़े गये ब्यक्तियों की सति से पकड़े गये ब्यक्ति से झोला लेकर देखा गया तो एक पालिथीन में लिपटा हुआ को खोलकर देखा व सूँघा गया तो गाजा जैसी गंध आ रही है। गाजा रखने व बेचने का प्रमाण पत्र मागा गया तो दिखाने से कासिर रहा। मोटरसाईकिल का कागजात मागा गया तो आना कानी करते हुए दिखाने से कासिर रहा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि मोटरसाईकिल मैं काफी दिन पहले रेलवे स्टेशन से चुराया था इसी मोटरसाईकिल से घुमफिरकर गाजा बेचता हूँ तथा मोटरसाईकिल को भी बेच देता हूँ आज इस मोटरसाईकिल गाजा बेचने के बाद किसी के बेच देता। अभियुक्त के कब्जे से बरामद गाजा व मोटरसाईकिल को कब्जा पुलिस में लेकर दिनांक 07.06.21 को समय 17.48 बजे घटना स्थल वहद ग्राम हरवंशपुर तिराहा पर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- 1. धर्मेन्द्र यादव उर्फ उदई पुत्र रामा यादव उर्फ रामायण सा0 गेलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने बताया कि साहब गाजा बेचकर परिवार का पालन पोषण करता हूँ गलती हो गई माफ कर दीजिये अब ऐसा कोई काम नहीं करेगे।

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1. मु0अ0स0 122/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0स0 123/2021 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

1. 700 किग्रा गाजा नाजायज
2. UP 53 डीडी 4149 , चेचिस नं0 MBLJA05EKC9G06045 इंजन नं0 JA05ECC9G05921

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 04/2015 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0स0 05/2016 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0स0 142/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0स0 209/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0स0 211/19 धारा 307 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

6. मु0अ0स0 244/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
7. मु0अ0स0 245/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
8. मु0अ0स0 117/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
9. मु0अ0स0 119/21 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
10. मु0अ0स0 122/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
11. मु0अ0स0 123/2021 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
12. मु0अ0स0स0 82/19 धारा 379 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
13. मु0अ0स0 134/19 धारा 380 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
14. नील/20 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़
15. नील/21 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे0का0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़
4. हे0का0 अवधेश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 मनीष यादव थाना सिधारी आजमगढ़
6. का0 अभिमित तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़